राजस्थान– सरकार

कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान– उदयपुर

क्रमांकः– एफ 1(2)वरि.नाग.ती.या.यो./देव/2019/21627 दिनांक – 13.11.19

आदेश

राजस्थान सरकार की योजना **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना**, 2019 के अन्तर्गत दिनांक 22.11.2019 को **बीकानेर से रामेश्वरम्** को प्रस्थान करने वाली रेल हेतु संबंधित संभागीय आयुक्त महोदय के अनुमोदन उपरान्त सहायक आयुक्त द्वारा चयनित अधिकारियों/कार्मिकों की निम्नानुसार ड्यूटी लगाई जाती है :–

ट्रेन प्रभारी

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद	मोबाईल नंबर	स्टेशन जहाँ से ड्यूटी प्रारंभ होगी एवं रिपोर्टिंग टाईम	संबंधित सहायक आयुक्त
1.	श्री सत्येन्द्र राठौड़, उप निदेशक (एसीपी) सूचना प्रौद्यो. एवं संचार विभाग, बीकानेर	यात्रा प्रभारी	7728087777	बीकानेर रेलवे स्टेशन 22.11.2019 प्रातः 5 बजे	सहा. आयुक्त बीकानेर

चिकित्सा स्टॉफ

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद	मोबाईल नंबर	स्टेशन जहाँ से ड्यूटी प्रारंभ होगी एवं रिपोर्टिंग टाईम	संबंधित सहायक आयुक्त
1.	डॉ श्री जयदीप पूनियां, जिला क्षय निवारण केन्द्र, बीकानेर	चिकित्सा अधिकारी	7014594923	बीकानेर रेलवे स्टेशन 22.11.2019 प्रातः 5 बजे	सहा. आयुक्त बीकानेर
2.	श्री जितेन्द्र पंवार, पुलिस लाईन डिस्पेन्सरी, बीकानेर	चिकित्साकर्मी	9829616072		
3.	श्रीमती लतिका पंवार, पीबीएम. चिकित्सालय, बीकानेर	चिकित्साकर्मी	8233000115		

अनुरक्षक

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद	मोबाईल नंबर	स्टेशन जहाँ से ड्यूटी प्रारंभ होगी एवं रिपोर्टिंग टाईम	संबंधित सहायक आयुक्त
1.	श्री मनोज कुमार, क.लेखा., वित्तीय सलाहकार, सि.क्षे.वि. बीकानेर	अनुरक्षक	9166904609	बीकानेर रेलवे स्टेशन 22.11.2019 प्रातः 5 बजे	सहा. आयुक्त बीकानेर
2.	श्री मनेष शर्मा, क.लेखा. अति. निदेशक पेंशन विभाग, बीकानेर	अनुरक्षक	8955155156		
3.	श्री परलेश यादव, वरि.सहा. कलेक्ट्रेट, हनुमानगढ़	अनुरक्षक	9664205704		
4.	श्री धर्मपाल सिंह, सू.सहा. कार्या. सहा. निर्वाचन रजि. पदाधिकारी, रतनगढ़, चूरू	अनुरक्षक	9664029956, 9829719253		
5.	श्री रवीन्द्र सिंह क.लेखा. वाणिज्यक कर विभाग, जोधपुर	अनुरक्षक	9694287473	भगत की कोठी(जोधपुर) रेल्वे स्टेशन, दिनांक 22.11.2019 प्रातः 10.00 बजे	सहा. आयुक्त जोधपुर
6.	श्री दिनेश कुमार डाबी, व. सहा. वाणिज्यक कर विभाग, जोधपुर	अनुरक्षक	9414916712		
7.	श्री भंवरलाल, टी.आर.ए. जिला कलक्टर, जोधपुर	अनुरक्षक	9785182761		

Scanned by CamScanner

8.	श्री रूघनाथराम, पटवारी जिला कलक्टर, भू.अ. जोधपुर	अनुरक्षक	9680545584		
9.	श्री लादूसिंह, क.सहा. जिला कलक्टर, जोधपुर	अनुरक्षक	9983202343		
10	श्री जितेन्द्र, सू.सहा.,सहा.निदे. लोक सेवाएं, जोधपुर	अनुरक्षक	9694593275		
11	श्री मुकेश कुमार जागिड़, पटवारी, राजस्व विभाग, सरवाड़	अनुरक्षक	9928251605		सहा. आयुक्त अजमेर
12	श्री मनीष गोधा, कनि.सहा. राजस्व विभाग, सरवाड़	अनुरक्षक	9414380108		
13	श्री रत्नेश कुमार खटीक,क.सहा. राउमावि.सांखड़ा(कोटड़ी)भीलवाड़ा	अनुरक्षक	9602157522		
14	श्री राकेश सैन, वरि. सहा. स्वा. विवे.मॉडल,स्कूलसुवाणा भीलवाड़ा	अनुरक्षक	8005662660		
15	श्री मनीष कुमार त्रिपाठी, कनि. सहा. राउमावि. गन्धेर, जहाजपुरा	अनुरक्षक	9829839546		
16	श्री सुरेश कुमार टांक, सहा. लेखा.–।। कोष कार्या. नागौर	अनुरक्षक	9461022577		
17	श्री गिरीराज जोशी, कर सहायक, राज्य कर विभाग, नागौर	अनुरक्षक	9829024975		
18	श्री विनोद गहलोत, स्टेनोग्राफर, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर	अनुरक्षक	9414472708	रेलवे स्टेशन पिंडवाड़ा (सिरोही रोड़) दिनांक 22.11.2019 दोपहर 2.00 बजे	सहा. आयुक्त उदयपुर
19	श्री सुरेन्द्र सिंह चुण्डावत, व. सहा. जिला कलक्टर, उदयपुर	अनुरक्षक	9414576504		
20	श्री प्रकाश कुमावत, क.सहा. राउप्रावि. फुकिया, रेलमगरा	अनुरक्षक	9079104638		
21	श्री कैलाश चन्द्र रावल, क.सहा. कार्या. उपखण्ड अधिकारी बड़गांव	अनुरक्षक	9983307595		
22	श्री सौरभ वशिष्ठ क.सहा. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, उदयपुर	अनुरक्षक	9950401287		
23	श्री योगेश चौधरी, सहा.प्रोग्रा. कार्या. उपखण्ड अधिकारी बड़गांव	अनुरक्षक	8209075592		
24	श्री जसवंत सिंह चौहान, सू. सहा.कार्या. उपखण्ड अधि. गिर्वा	अनुरक्षक	9636016782		
25	श्री पुष्पेन्द्र सिंह राजावत, वरि. सहा.,जिला उद्योग केन्द्र उदयपुर	अनुरक्षक	9636103236		
26	श्री छेंदीलाल शर्मा, निरीक्षक, देवस्थान विभाग, उदयपुर	अनुरक्षक	9413474267		
27	श्री महेन्द्र डामोर, क. सहा. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, उदयपुर	अनुरक्षक	6375798325		
28	श्री घनिष्ट रजक, क.सहा. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, उदयपुर	अनुरक्षक	9782624015		

Scanned by CamScanner

सुरक्षाकर्मी

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद	मोबाईल नंबर	स्टेशन जहाँ से ड्यूटी प्रारंभ होगी एवं रिपोर्टिंग टाईम	संबंधित सहायक आयुक्त
1.	श्री सुन्दर सिंह, हैड कानि. 68, कार्या.हाजा	जाप्ता प्रभारी	8764860272	बीकानेर रेलवे स्टेशन 22.11.2019 प्रातः 05.00 बजे	सहा. आयुक्त बीकानेर
2.	श्रीमती निरमा, म.कानि. 103 जी.आर.पी. लाईन जोधपुर	पुलिस जाप्ता	8764860314		
3.	श्री धनराज कानि. 150, कार्या. हाजा		9413461360		
4.	श्रीमती सुनिता म.कानि., 482 जी.आर.पी. लाईन जोधपुर		8764860297		
5.	श्री महावीर सिंह, कानि. 387		9530441133		

प्रभारी अधिकारी दिनांक 21.11.2019 को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, बीकानेर से संपर्क कर आवश्यक व्यवस्थाओं को समझकर नियमानुसार संपूर्ण यात्रा के दौरान् अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

प्रभारी अधिकारी दिनांक 22.11.2019 को प्रातः 6 बजे बीकानेर रेल्वे स्टेशन पर उपस्थित होकर ट्रेन की रवानगी करायेंगे तथा समस्त अनुदेशकों से उनके दायित्वों का निर्वहन करवायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ, सुरक्षाकर्मी, अनुदेशक प्रभारी अधिकारी के निर्देशों एवं अनुशासन के अध्याधीन अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। किसी भी अधिकारी/कार्मिक द्वारा अपने निर्धारित दायित्वों के निवर्तन में लापरवाही/उदासीनता बरतने पर उसे अत्यन्त गंभीरता से लिया जायेगा।

उक्त समस्त कार्मिक दि. 21.11.2019 को कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति सम्बन्धित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग को देगें।

सभी संबंधित पालना सुनिश्चित करें।

(A) तीर्थ यात्रा हेतु ट्रेन यात्रा के प्रभारी श्री सत्येन्द्र सिंह राठौड़ के दायित्व :—

1. देवस्थान विभाग द्वारा ट्रेन प्रभारी यात्रा के दौरान उस यात्रा विशेष के प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जिनके अधीन आवश्यक संख्या में अनुरक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ट्रेन यात्रा में समान्यतः प्रत्येक कोच में न्यूनतम दो अनुरक्षक को की नियुक्ति की जाती है।
2. ट्रेन प्रभारी यात्रा के दौरान अनुरक्षकों, देवस्थान विभाग के अधिकारियों, IRCTC एवं रेलवे के अधिकारियों से समन्वय कर उनसे कर उनसे निरंतर संपर्क कर यात्रा हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करना।
3. ट्रेन प्रभारी एवं सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग स्टेशन के समीप स्थापित काउंटर पर एकत्रित यात्रियों को अनुरक्षकों, चिकित्सा अधिकारी, IRCTC के संबध में समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देंगे।
4. ट्रेन प्रभारी अनुरक्षकों द्वारा ट्रेन में यात्रियों को बैठाते समय, समय, यात्रियों को दर्शन हेतु , पुनः दर्शन से लौटने पर उनकी गिनती कर उन्हें ट्रेन में निर्धारित स्थल पर बैठाने के बाद ली गई उपस्थिति की समीक्षा करेगा। इस बात का विशेष ध्यान दिया जावे कि यात्रा के दौरान कोई यात्री छूट न जाएं।
5. ट्रेन प्रभारी सहायक आयुक्त से प्राप्त यात्री सूची अनुसार ही ट्रेन जहाज में यात्रियों को बिठाऐंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि सूची के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति यात्रा न करें।
6. ट्रेन प्रभारी यात्रा के दौरान किसी यात्री के अस्वस्थ होने की स्थिति में तत्काल ट्रेन में उपलब्ध चिकित्सक एवं चिकित्सा स्टॉफ को सूचित कर उनके समुचित ईलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

Scanned by CamScanner

7. IRCTC के स्टॉफ द्वारा यात्रियों को दिये जाने वाले नाश्ते, भोजन एवं पेयजल व्यवस्था संबंधित पूरा ध्यान रखेंगे।
8. यात्रा के दौरान आकस्मिक स्थिति में चिकित्सा दवाई आदि के लिये 20,000/- रू. की राशि व्यय करने हेतु अधिकृत होंगे। यह राशि IRCTC के ट्रेन प्रभारी के पास उपलब्ध रहेगी।

सूचना उपलब्ध कराने संबंधी निर्देश :–

9. ट्रेन प्रभारी यात्रा के दौरान प्रत्येक गतिविधि की सूचना रेलवे तथा देवस्थान विभाग के अधिकारियों को देंगे।
10. ट्रेन प्रभारी यात्रा के दौरान अपने मोबाईल से यात्रा के मुख्य अंश फोटो एवं विडियो रिकार्डिंग के रूप में देवस्थान विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के मोबाईल पर निरंतर प्रेषित करते रहेंगे।
11. यात्रा के दौरान किसी प्रकार की आपातकालीन स्थित में तत्काल IRCTC रेलवे एवं देवस्थान विभाग के निर्धारित कंट्रोल रूम में व अधिकारियों को सूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
12. ट्रेन प्रभारी यात्रा की समाप्ति पर वास्तविक यात्रियों के नाम, अनुपस्थित यात्रियों के नाम, प्रतिस्थापित यात्रियों के नाम (प्रतिक्षा सूची से), कुल यात्री संख्या का कोचवार विवरण प्रमाणित कर सहायक आयुक्त, देवस्थान को प्रस्तुत करेंगे।
13. प्रभारी व अनुरक्षक को अपने साथ आवश्यक रूप में स्मार्ट फोन की सुविधायुक्त मोबाईल फोन रखना होगा, ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर इन्टरनेट एवं सोशल एप के माध्यम से जुड़े रह सकें। इस संबंध में देवस्थान विभाग द्वारा आवश्यक एप भी प्रयोग हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।
14. प्रभारी व अनुरक्षकों के लिए भी तीर्थ यात्रा हेतु समस्त निर्धारित नियम लागू होंगे।

(B) तीर्थ यात्रा हेतु अनुरक्षकों के दायित्व :–

1. रेलवे स्टेशन के समीप काउंटर पर यात्रियों को एकत्र कर अनसे आधार/भामाशाह पहचान पत्र, पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो प्राप्त कर मौके पर टूयूर वाऊचर (यात्रा टिकट) प्रदान करना।
2. सहायक आयुक्त से यात्रियों के विवरण की सूची प्राप्त करेंगें, जिसमें उनके पते एवं सम्पर्क नम्बर हो।
3. ट्रेन में अपनी बोगी/सीट में यात्रा करने वाले वास्तविक यात्रियों के नाम की सूची बनाना व उपस्थिति पर उनके हस्ताक्षर कराना। उपस्थित एवं अनुपस्थित यात्रियों की सूचना सहायक आयुक्त, देवस्थान को देंगें।
4. अनुरक्षक सहायक आयुक्त से प्राप्त यात्रियों की सूची अनुसार ही अपनी बोगी में आवंटित सीट में यात्रियों को बिठाऐंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि सूची के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति यात्रा न करें।
5. अनुरक्षक, ट्रेन प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी एवं आई.आर.सी.टी.सी. के अधिकारियों से संपर्क कर अनके मोबाईल नंबर अपने पास रखेंगे औश्र यात्रा के दौरान कोच के यात्रियों की देखभाल, खाने पीने एवं ठहरने, तीर्थ स्थल पर सुरक्षित रूप से दर्शन करवाने की आवश्यक व्यवस्थाएं आपसी समन्वय कर सुनिश्चित करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बस द्वारा तीर्थ स्थल जाते एवं आते समय कोई यात्री समूह से बिछड़ न जाये। किसी भी प्रकार की स्थिति होने पर तत्काल ट्रेन प्रभारी को सूचित करेंगे।
6. आवंटित कोच के यात्रियों के ट्रेन से उतरते समय, तीर्थ स्थल पर दर्शन के दौरान एवं पुनः ट्रेन में बैठते समय यात्रियों की उपस्थितिकी गणना की जाना सुनिश्चित करेंगे।
7. अनुरक्षक ट्रेन में नियुक्त ट्रेन प्रभारी से समन्वय कर यात्रा के दौरान उनके द्वारा दिये गये आवश्यक निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगा।
8. अनुरक्षक यात्रा समाप्ति पर वास्तविक यात्रियों के नाम, अनुपस्थित यात्रियों के नाम, प्रतिस्थापित यात्रियों के नाम (प्रतीक्षा सूची से), कुल यात्री संख्या का विवरण प्रमाणित कर सहायक आयुक्त, देवस्थान को प्रस्तुत करेंगे।
9. अनुरक्षक को अपने साथ आवश्यक रूप से स्मार्टफोन की सुविधायुक्त मोबाईल से यात्रा के मुख्य अंश के फोटो एवं विडियों रिकार्डिंग देवस्थान विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के मोबाईल पर निरंतर प्रेषित करते रहेंगे।

Scanned by CamScanner

10. यात्रा रवानगी से लेकर पूरे रास्ते में आपकों आवंटित कोच के यात्रियों का ध्यान रखा जावे। कोई भी यात्री स्टेशन पर छूटे नहीं। सम्बन्धित यात्रीगण रामेश्वरम् में विभिन्न मंदिरों/समुद्र घाट के दर्शन एक समूह में करें ताकि कोई यात्री बिछड़े नहीं क्योकि तमिलनाडू में हिन्दी भाषा को समझने वाले कम हैं। वापसी में रवानगी के समय समस्त यात्रियों की गिनती कर समस्त यात्रियों को रवानगी समय से 01 घंटा पूर्व ही रेलवे स्टेशन पर लाकर ट्रेन में बिठवाना सुनिश्चित करें। मदुरई में रेलवे स्टेशन से मीनाक्षी मंदिर दर्शन तक मीनाक्षी मंदिर दर्शन के दौरान तथा मीनाक्षी मंदिर से निकलकर वापसी के समय यात्रियों की पूरी गिनती एवं संख्या का प्रत्येक अनुदेशक उन्हें आवंटित यात्रियों के अनुरूप ध्यान रखेगा।

11. यह ध्यान रहे कि दि. 21.11.19 से दि. 29.11.19 की यात्रा अवधि में आप राजकीय ड्यूटी पर हैं, ऐसे में पूर्ण गंभीरता एवं समर्पण भाव से राजकीय ड्यूटी करते हुए ट्रेन प्रभारी द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

(C) सुरक्षा प्रभारी/कर्मियों का दायित्व :–

1. GRP के सुरक्षाकर्मी सुरक्षा प्रभारी एवं यात्रा प्रभारी के निर्देशानुसार 2-2 के समूह में यात्रा अवधि में प्रत्येक कोच में चलते हुए गश्त करते रहेगें। यदि किसी स्टेशन पर ट्रेन तकनीकी कारण से रूकती है तो वहाँ पर विशेष ध्यान रखेगें कि कोई यात्री नीचे नहीं उतरे एवं यदि भूलवश उतर जाये तो पुनः ट्रेन में चढ़ाया जावे ताकि कोई यात्री छूटें नहीं।
2. रामेश्वरम्/मदुरई में यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर उपस्थिति के उपरान्त ट्रेन में सुरक्षित चढ़ाई/उतारायी एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेगें।
3. यात्रा प्रभारी अधिकारी द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगें।

नोटः– पूर्व में यह ट्रेन दि. 15.11.19 को प्रस्थान करने वाली थी जो निकाय चुनाव के कारण स्थगित कर दी गई थी। अब यह ट्रेन दि. 22.11.19 को प्रस्थान कर दि. 29.11.19 को वापस लौटेगी।

13/11/19

(ओ.पी.जैन)
R.A.S.
आयुक्त
देवस्थान विभाग
राजस्थान, उदयपुर

21628

क्रमांकः– एफ 1(2)वरि.नाग.ती.या.यो./देव/2019/
दिनांक :– 13.11.19

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर /पुलिस अधीक्षक महोदय, बीकानेर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/सिरोही को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संयुक्त शासन सचिव महोदय, देवस्थान विभाग, जयपुर (राजस्थान) वास्ते अनुमोदनार्थ
3. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय/माननीय राज्य मंत्री/शासन सचिव महोदय देवस्थान विभाग,जयपुर।
4. उपायुक्त /सहायक आयुक्त मुख्यालय।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त महोदय/निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त।
6. सम्बन्धित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग को दी जाकर लेख है कि यात्रा रवानगी के समय उक्त आदेश की प्रतियां संबंधित यात्रा प्रभारी/चिकित्सा स्टाफ एवं अनुरक्षकों को उपलब्ध करायेंगे।
7. मुख्य क्षैत्रीय प्रबंधक, आई.आर.सी.टी.सी. जयपुर को सूचनार्थ।
8. उपनिदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उदयपुर।
9. श्री सत्येन्द्र सिंह राठौड़, उप निदेशक (एसीपी) सूचना प्रौद्यो. एवं संचार विभाग, बीकानेर, मो. 7728087777 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. चिकित्सा प्रभारी अधिकारी/ नर्सिंगकर्मी को पालनार्थ।
11. समस्त अनुदेशक को पालनार्थ।
12. कार्यालयाध्यक्ष..को कार्यमुक्त करने बाबत्।

आयुक्त
देवस्थान विभाग
राजस्थान, उदयपुर

Scanned by CamScanner